न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 109/2018

अनवान :

1. राधेश्याम पुत्र श्री धानुराम जाति ब्राहम्ण निवासी अलायला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति : वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा : प्रार्थी

निर्णय **दिनांक :** 25.04.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अलायला के खाता सं0 110/102 के खसरा सं0 272 में 3.6300 है0, खसरा सं0 303 में 4.3830 है0, खसरा सं0 304 में 8.1950 है0 बारानी भूमि प्रार्थी के पिता के नाम धन्ना पिसरान जयदेव एवं खाता सं0 112/117 खसरा सं0 95 में 3.4780 है0 खसरा सं0 290 में 2.6430 है0 बारानी भूमि कुल क्षेत्रफल 6.1210 है0 बारानी भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम धानुराम पि0 जयदेव के खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी के पिता को उपर वर्णित भूमि विरासतन अपने पिता जयदेव से प्राप्त हुई है। उक्त खाता सं0 110/102 में प्रार्थी के पिता का नाम विरासतन दर्ज करते समय सहबन से धन्ना पि0 जयदेव दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं वांस्तविक नाम धानुराम पुत्र जयदेवाराम है जबकि प्रार्थी के पिता के फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम धानुराम पि0 जयदेवाराम है।

प्रार्थी के पिता का जन्म ग्राम अलायला तहसील भादरा में हुआ जिन्हें गांव में धन्ना एवं धानुराम दोनों नाम से जानते है। प्रार्थी के दादा का भी सही एवं वास्तविक नाम जयदेव की बजाए जयदेवाराम है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम अलायला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उसके पिता का नाम विरासतन दर्ज करते समय सहबन से धन्ना पि0 जयदेव दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम धानुराम पुत्र जयदेवाराम है जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए, चित्रप्रति वोटर आई डी कार्ड 5ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 7ए पेश किये है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम धानुराम पुत्र जयदेवाराम अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत अलायला द्वारा जारी प्रमाण पत्र में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा धन्ना उर्फ धानुराम पुत्र जयदेव उर्फ जयदेवाराम दोनों

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

नाम एक की व्यक्ति के होना अंकित है। इसके अलावा जो राजस्व रिकार्ड सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अलायला खाता सं0 112/117 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 3 पेश की है उक्त राजस्व रिकार्ड से भी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम धानुराम होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा अलायला के जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं0 110/102 में दर्ज धन्ना पि0 जयदेव की बजाए धानुराम पि0 जयदेवाराम व खाता सं0 112/117 में दर्ज धानुराम पि0 जयदेव के स्थान पर धानुराम पि0 जयदेवाराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

25.04.19

(सुखाराम पिण्डेल)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

R.A.S.

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़